

आयालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

दिनांक आदि बनाम अनिल कुमार आदि

क्रमांक 104 / 2024 अन्तर्गत धारा 212 RTA

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए

30/5/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राप्त। पत्र पेश किया। सामिल प्रस्तुत रहे। पत्रावली वक्ते जवाब उपस्थित। दिनांक 30/5/25 अपेक्ष है।

30/5/25 अधिवक्तागण उपस्थित। अपाधी सं. 1 की ओर से जवाब प्राप्त। पत्र पेश किया। सामिल प्रस्तुत रहे। 12 की अवधि आगामी पुंशी तक बढ़ा जाती है। पत्रावली वक्ते बहस दिनांक 06/06/25 को पेश हो।

06/06/25 अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूल प्राप्त पत्र अन्तर्गत धारा 25(A) RTA का निस्तारण हो। पूरा है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राधी का प्राप्त पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अध्यापी विधिवासा दिनांक 31/12/2025 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विधीति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल कम्तर हो।



सहायक कलक्टर एवं प्रमुख उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)